29

कार्यालय ज्ञाप

प्रधान कार्यालय के ज्ञाप सं0 20864/स्थापना/2012–13, दिनांक 24.01.13 द्वारा प्रबन्धक श्रेणी-I,II एवं III के कर्तव्यो एवं दायित्वों के शीर्षक सूचना अनुश्रवण एवं नियंत्रण बिन्दु सं0–13 में शाखा के विविध मामलों/वादों की प्रभावी पैरवी करने का कार्य तथा बिन्दु सं0–14 में शाखा के भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु वकीलों के पैनल गठन हेतु संस्तुति भेजने का कार्य निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त बिन्दु सं0–13 एवं 14 में संशोधन करते हुए कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

बिन्दु सं0–13

शाखा के विधिक मामलों/वादों की प्रभावी पैरवी करना। जिला स्तरीय न्यायालयों (सिविल वाद/उपभोक्ता वाद) में जनपद की बैंक शाखाओं के विरूद्ध दायर होने/बैंक द्वारा दायर की जाने वाले वादों की बैंक व्यय पर स्वीकृति प्रदान करने एवं जनपद स्तरीय वादो की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के पैनल गठन करने का कार्य जनपद स्तरीय शाखा पर नियुक्त प्रबन्धक श्रेणी-I,II एवं III (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा किया जायेगा।

बिन्दु सं0–14

शाखा के भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु वकीलों के पैनल गठन के लिए जनपद के शाखाओं द्वारा स्पष्ट संस्तुति कर जनपद स्तरीय शाखा को प्रेषित करना। भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु वकीलों के पैनल का गठन अपने जनपद की शाखाओं हेतु जनपद स्तरीय शाखा पर नियुक्त प्रबन्धक श्रेणी-I,II एवं III (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता से परामर्श कर किया जायेगा तथा इसकी सूचना प्रधान कार्यालय को दी जायेगी।

ह0/

(राम जतन यादव)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

ज्ञाप सं0–2125 /स्थापना/2012–13 दिनांक– 15/02/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रबन्धक श्रेणी-I,II एवं III उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3. माननीय सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. गार्ड पत्रावली हेतु

(आलोक दीक्षित)
महाप्रबन्धक(प्रशासन)